<u>न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर</u>

अपील / 43 / 2016

दयांचद उम्र 36 साल पुत्र मदन लाल जाति वैश्य निवासी ग्रांम गुलपाडा थाना सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर

....अपीलार्थी0

बनाम

1– मदनलाल उम्र 75 साल पुत्र चक्खनलाल
2– श्रीमती तारावती उम्र 70 साल पत्नी मदनलाल
जातियान वैश्य निवासीयान ग्रांम गुलपाडा थाना सीकरी जिला भरतपुर

..... रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोष तथा कल्याण अधिनियम 2007 व खिलाफ निर्णय दिनांक 21.11.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर व मुकदमा बाबत भरण पोषण दिलाये जाने प्रकरण संख्या 2 / 2016 मदनलाल वगे. बनाम दयाचंद ।

<u>निर्णय</u> दिनांक 13.11.2017

अपीलार्थी ने यह अपील विरुद्व रेस्पो. व खिलाफ उपखण्ड अधिकारी नगर आदेश दिनांक 21.11.2016 के पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी नगर ने अपने आदेश दिनांक 21.11.2016 में भरण पोषण की राशि पुत्र दयाचंद से 500/– 500/– रुपये, प्रतिमाह, पिता मदनलाल व माता तारावती को दिये जाने के आदेश दिये गये हैं। अपीलान्ट ने माता पिता रेस्पो. पर करोड़ो की सम्पति और लाखों रुपये महावार की आय होना बताते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2016 को निरस्त करने की प्रार्थना की की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। उपस्थिति अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। अपीलान्ट यह कहकर कि माता पिता पर करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक हैं, अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है। तहत न्यायालय ने मात्र पांच सौ रुपये पिता व पांच सौ रुपये माता को भरण पोषण राशि प्रति माह दिये जाने के आदेश दिये गये हैं। पुत्र होने के नाते अपीलान्ट का

.......2

दायित्व है कि वे अपने बुढे मॉ बाप की सेवासुश्रा (भरण पोषण) करे। तहत न्यायालय ने पक्षकारान के आय स्त्रोत को ध्यान में रखते हुये उचित निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति पक्षकारान को पालनार्थ प्रेषित हो। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस उपखण्ड अधिकारी नगर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2014 को सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official